तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वाद पत्र संख्या 147 / 2024 GCMS NO. 2024/331 **उनवानी प्रतापराम बनाम ताराचन्द आदि** **अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955**	

03.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान के निवेदन पर बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन गया तथा विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2053 से 2056 के खाता संख्या 325 के खसरा नम्बर 2240 रकबा 0.93 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 2242 रकबा 0.99 हेक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.92 हेक्टेयर की विरासतन नामान्तरकरण से खातेदारी प्रतापराम, प्रकाशचन्द, ताराचन्द, मुन्नीलाल पिता स्व. मांगूराम जाति मेघवंशी (चमार) के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 के खाता संख्या 210 में उक्त खातेदारी बदस्तुर रही है। चालू जमाबन्दी संवत 2073–2076 के हाल खाता संख्या 649 के खसरा नम्बर 2240 रकबा 0.93 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 2336 / 2239 रकबा 0.29 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 2340 / 2240 रकबा 0.83 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.05 हेक्टेयर की खातेदारी वर्तमान में ताराचन्द पुत्र मांगूराम, दिनेश पत्नी विनोद कुमार, प्रकाशचन्द पुत्र मांगूराम व मुन्नीलाल पुत्र मांगूराम के नाम हिस्सा 1 / 4–1 / 4 दर्ज रिकार्ड है। नामान्तरकरण संख्या 2647 दिनांक 21.08.2021 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 सावित्री पत्नी प्रतापराम ने अपने 1 / 4 हिस्से का पंजीकृत विक्रय पत्र से प्रतिवादी संख्या 4 को बेचान किया है। प्रतिवादी संख्या 3 आधार कार्ड के अनुसार प्रकाशचन्द की पत्नी है तथा जमाबन्दी में वह प्रतापराम की पत्नी है। जमाबन्दी के अनुसार ही प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रतिवादी संख्या 4 को अपना हिस्सा बेचान किया है। पत्रावली में उपरोक्त के अतिरिक्त वादी के द्वारा अन्य कोई राजस्व अभिलेख पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो कि वादी की जमाबन्दी संवत 2053 से 2056 व 2069 से 2072 में दर्ज खातेदारी वर्तमान जमाबन्दी में किस आधार से विलोपित हुई है। वादी के द्वारा पत्रावली पर जो राजस्व अभिलेख पेश किया है, उससे वादी अपने वाद पत्र को साबित करने में विफल रहा है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप वादी का वाद राजस्व अभिलेख के आधार पर साबित नहीं होने से अस्वीकार कर काबिले खारिज योग्य है। लिहाजा

–: आदेशः–

अतः वादी का वाद राजस्व अभिलेख के आधार पर साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/7/24

(सविता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतडी
जिला नीमकाथाना (राज0)

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला- नीमकाथाना (राज.)